87/2025

क्रम हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.
12.1.2026	वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी अनु०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम डोली राजगढ़ तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा नम्बर 212, 215, 449, 451, 473, 483, 730, 752, 753, 510, 696, 02 व 07 अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम रतन कुमार पुत्र हगामाराम के स्थान पर अयुक्त नाम रतनराम पुत्र हगामाराम दर्ज है। उक्त नाम इन्द्राज के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जबकि विपक्षी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित आराध्यी में उक्त नाम इन्द्राज है, जो कि शुद्ध नाम दुरुस्ती की तजवीज की गई है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जावे। हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम डोली राजगढ़ के खसरा नम्बर 212, 215, 449, 451, 473, 483, 730, 752, 753, 510, 696, 02 व 07 भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का नाम रतनराम पुत्र हगामाराम जाति कुमार दर्ज है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात,	

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज

मय्या - आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड प्रति, जन आधार कार्ड प्रति, परिवार रजिस्टर कार्ड प्रति में ढोली की नाम रावत कुमार पुत्र हगनाराम अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि विवादित भूमि में प्रार्थी का असुद्ध नाम दर्ज है। इसके अलावा विपक्षी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रावत कुमार पुत्र हगनाराम है। ढोली के पिता का फौतगी सामलकरण दादर मरते वक्त प्रार्थी का असुद्ध नाम दर्ज हुआ था। जबकि रावत कुमार व देवताराम दोनों एक ही खातेदार का नाम है। इस नाम का कोई अन्य खातेदार नहीं है। प्रार्थी के नाम शुद्ध करने की सिफारिश की गई है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम - ढोली राजगढ़ तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा नम्बर 212, 215, 449, 451, 473, 483, 730, 752, 753, 510, 696, 02 व 07 भूमि में देवराम पुत्र हगनाराम के स्थान पर रावत कुमार पुत्र हगनाराम दुरुस्त करने के आदेश दिए जाते हैं शेष - बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल - दरामद किया जाकर सुनिश्चित करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा